

**ग्राम पंचायत चन्हाता, विकास खण्ड व तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अंकेक्षण अवधि:-01-04-2015 से 31-03-2018

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चन्हाता, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 4/15 से 3/18 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री वचित्र सिंह	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति रचना देवी	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	सुश्री मीना कुमारी	2012 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {लाखों में}
1.	5	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.30
2.	6	अनुदान राशियों का अवरोधन	22.78

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत चन्हाता, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती

अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार खेही (सहायक नियन्त्रक) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12-06-2018 से 15-06-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय चन्हाता में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 09/15, 11/16 व 03/18 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 09/15, 02/17 व 08/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत चन्हाता, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 4/15 से 3/18 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या:151 दिनांक 15-06-17 द्वारा सचिव, पंचायत चन्हाता से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:- ग्राम पंचायत चन्हाता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/15 से 3/18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1}स्व स्रोत :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	266460	65101	331561	28320	303241
2016-17	303241	90113	393354	95843	297511
2017-18	297511	48062	345573	54123	291450

{2}अनुदान :- ग्राम पंचायत चन्हाता के अवधि 4/15 से 3/18 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	1380379	672821	2053200	647535	1405665
2016-17	1405665	2643701	4049366	2568266	1481100
2017-18	1481100	3927427	5408527	3130760	2277767

दिनांक 31-03-18 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HPSCB Garola	18410100467	688606
2.	-----do-----	18410102855	6296
3.	-----do-----	18410104275	16820
4.	-----do-----	18410104276	11261
5.	-----do-----	18410104277	55056
6.	-----do-----	18410104728	1791143
7.		cash in hand (gen)	35
		TOTAL	2569217

दिनांक 31-03-18 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का अन्त शेष :- ₹ 2569217

दिनांक 31-03-18 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (1+2):- ₹2569217

5 पंचायत राजस्व ₹0.30 लाख का वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व-स्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-03-18 तक पंचायत राजस्व ₹30460 वसूली हेतु शेष था जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए:-

(क) गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	0	4050	4050	120	3930
2016-17	3930	4220	8150	0	8150
2017-18	8150	4310	12460	0	12460

(ख) मोबाइल टावर शुल्क :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	12000	2000	14000	0	14000
2016-17	14000	2000	16000	0	16000
2017-18	16000	2000	18000	0	18000

क+ख =30460

6 अनुदान ₹22.78 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹2277767 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से बांछित होना पड़ा। अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 149 दिनांक 15-06-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चन्हीता को इस बारे अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापन सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7 कार्य का नाम :- C/O पक्की गली बस स्टैंड से चन्हीता

स्वीकृत राशि :- 100000/-

शीर्ष :- VKVNY

माप पुस्तिका :- 11165 पृष्ठ 94,95

(क) उक्त निर्माण कार्य की जाँच करने पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य में प्राकलन व कनिष्ठ अभियंता द्वारा माप पुस्तिका पर की गई टिप्पणी अनुसार मद C.C.1.3.6 का प्रयोग होना अपेक्षित था जबकि तकनीकी सहायक द्वारा C.C 1.4.8 का प्रयोग किया गया जो की अनुचित था अतः मात्रा 1.3.6 के स्थान पर 1.4.8 डालने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उक्त निर्माण कार्य में मद C.C 1.4.8 की कुल मात्रा 16.42m³ बनती थी तथा निर्धारित मानकों के अनुसार इस मद में (16.42x 3.4) 56 बैग सीमेंट (16.42 x 3.4) का उपयोग होना अपेक्षित था परन्तु माप पुस्तिका के पृष्ठ 96 के अनुसार 60 बैग सीमेंट का उपयोग किया गया इस प्रकार 4 बैग सीमेंट का अधिक उपयोग किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा 4 बैग सीमेंट की वसूली ₹365 प्रति बैग की दर से ₹1460 की वसूली सम्बन्धित से की जाए।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.43 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹43200 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 150 दिनांक 15-06-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चन्हौता को इस बारे अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके उपरोक्त उक्त खरीदी गई निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ भी नहीं की गई थी जिसे अब नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

9 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

- 11 लघु-आपति विवरणिका:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।
- 12 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल०ए०) एच (पंच) 15(7) 34 / 2018 खण्ड-1-6418-6421 दिनांक 4.10.18
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत चन्हौता, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि०प्र०
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि०प्र०

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881